tions of D.M.C. Act. with the help of the police.

गुजरात में विद्युत क्षेत्र में विदेशी और गैर-सरकारी निवेश हेतु मानदंड

2068. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु विदेशी और गैर-सरकारी कंपनियों के प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं; और

(ख) यह विद्युत संयंत्र कहां स्थापित होगा और इनका निर्माण कार्य पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) बिजली की मांग तथा आपूर्ति के मध्य तीव्रता के बढ़ते हुए अंतर को समाप्त करने में केन्द्रीय-राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों की कमी को मद्देनजर रखते हुए विद्युत उत्पादन एवं वितरण में क्षमता अभिवृद्धि के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाए जाने के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अधिकाधिक निवेश को प्रोत्साहित करने की एक नीति 1991 में गठित की गई थी तथा इस समय यह क्रियान्वयनाधीन है। यह नीति गुजरात में आरंभ होने वाली परियोजनाओं पर भी समान रूप से लागू है। नीति के कुछ महत्वपूर्ण मानदंड इस प्रकार से हैं:—

*निजी क्षेत्र कंपनियां लाइसेंसधारी अथवा विद्युत उत्पादन कंपनियों के रूप में प्रचालन हेतु उद्यम स्थापित कर सकती हैं।

*सभी निजी कंपनियों को जब विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेंगी इनको ऋण इक्विटी का अनुपात 4:1 बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी।

*प्रवर्तकों का अंशदान कम से कम समग्र परिव्यय का 11 प्रतिशत होना चाहिए।

*इस क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के लिए समग्र परिव्यय की कम से कम 60% राशि सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से भिन्न स्रोतों से जुटाई जानी चाहिए।

*विदेशी निजी निवेशकों द्वारा स्थापित परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत (100%) विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है।

*परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यह्रास की दरों को उदार बनाया गया है।

*टैरिफ में शामिल विदेशी इक्विटी 16% तक के लाभांश की राशि संबंधित विदेशी मुद्रा में उपलब्ध कराई जा सकेगी।

*68.5 प्रतिशत के संयंत्र भार अनुपात पर निर्धारित लागत वसूल की जा सकती है। इस संयंत्र भार अनुपात से बेहतर कार्य निष्पादन के लिए आकर्षक प्रोत्साहन निर्धारित किए गए हैं।

(ख) अभी तक, उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग आठ परियोजनाओं (समझौता ज्ञापन आशय पत्र इत्यादि के माध्यम के मामले में 100 करोड़ रुपये, तथा बोली माध्यम के मामले में 1000 करोड़ रुपये के अधिक की लागत वाली) को गुजरात में निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। यह निम्नवत है:—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता
1.	बड़ौदा सीसीजीटी	167 मे०वा०
2.	हजीरा सीसीपीपी	515 मे०वा०
3.	जामनगर	2×250 मे०वा०
4.	पशुधन जीवीपीपी	655 मे०वा०
5.	सूरत लिग्नाइट	2×125 मे०वा०
6.	घोघा	3×125 मे०वा०
7.	पिपावाव	1×615 मे०वा०
8.	पिपावाव कोस्टल टीपीपी	2×500 मे०वा०

*उपरोक्त परियोजना के पूरा होने का समय, परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित स्वीकृतियां/निवेश प्राप्त होने, वित्तीय समापन होने तथा निर्माण आरंभ होने के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगा।

Clearance of Upper Kolab and Upper Bhadrawah Hydro-Electric Projects

2069. SHRI BAHGABAN MAJHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the year in which the Upper Kolab and Upper Bhadrawah Hydro-electric projects got clearance from the Planning Commission; and

(b) the details of progress made since then in the completion of those project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN MIN1ST-TRY OF NON-CONVENTIONAL EVERGY SOURCES (DR. S. VENU-GOPALACHARI): (a) and (b) The Upper Kolab Hydroelectric Projcts 320 MW (4x80 MW) received investment approval from the Planning Commission in August, 1975. All the four units of the Upper Kolab Kydroelectric Project have already been commissioned in 1987, 1988, 1990 and 1993 respectively.

No project by the name of Upper Bhadrawah has been sanctioned by the Planning Commission in Orissa. However, there is a project named Upper In-dravati Project which was sanctioned in 1978. This envisages installed capacity of 600MW (4x150 MW). The latest estimated cost of the project is Rs. 1116.3 crores and the four units are to be commissioned in 1998-99.

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को लोकप्रिय बनाना

2070. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन और जल को गर्म करने के लिए देश में विकसित किए गए उपकरणों की क्षमता कितनी है तथा इन उपकरणों की लागत कितनी है;

(ख) क्या गांवों में इन उपकरणों की आपूर्ति के लिए कोई कार्य-योजना बनाई गई है;

(ग) क्या सरकार राज्यों और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में जानकारी देने हेतु कार्यालय खोलने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) देश में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पान क्षमता, सौर जल तापन प्रणालियों की संस्थापन क्षमता तथा अपारंपरिक ऊर्जा उपकरणों की लागत विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ख) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन तथा उपयोग के लिए उपकरणों की उपलब्धता को सरल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने चंड़ीगढ़, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, भोपाल हैदराबाद, भुवनेश्वर तथा मद्रास में पहले ही क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कर दी है। क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्तव्यों एवं जिम्मेवारियों में राज्य सरकारों राज्य नोडल एजेंसियों तथा गैर सरकारी संगठनों से सम्पर्क कायम रखना, चालू तथा पूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं के मानीटरिंग और निरीक्षण एवं लोगों को नए और अक्षय ऊर्जा स्रोतों तथा उनसे संबंधित प्रणालियों और उपकरणों के उपयोग संबंधी जानकारी तथा सलाह देना शामिल है।

विवरण

प्रति यूनिट लागत के साथ कार्यक्रमवार स्थापित विद्युत उत्पादन/जल तापन क्षमता।

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	संस्थापित क्षमता	विद्युत उत्पादन उपकरणों/जल तापन प्रणालियों के लिए प्रति यूनिट लागत
1.	पवन विद्युत (मेवा.)	818	रु० 3-3.5 करोड़/मेवा.
2.	लघु जल विद्युत (मेवा.)	134	रु० 4-5.5 करोड़/मेवा.